(c) what steps are being taken to reduce such Appeal, so as to lessen burden on the Supreme Court?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) The information is being collected and shall be placed on the Table of the House.

(b) and (c) Under the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, the Department of Legal Affairs gives advice to Ministries/Departments of the Government of India on legal matters including matters relating to litigation before all courts. Decision to file appeal in the Supreme Court is taken by the administrative Ministry/Department concerned after obtaining the opinion of the Department of Legal Affairs, and of the Law Officers to the Government of India where necessary. Appeals are filed after scrutiny and not as a matter of routine.

2754. [*Transferred to the 17th December*, 1985.]

दिल्ली में निर्माण कम्पनियां

2755. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मे निर्माण का कार्य करने वाली कितनी कम्पनियों का पंजीकरण हो चुका है ; उनके नाम और पते क्या है ; और

(ख) एकाधिकार सीमा से ज्यादा पूंजी लगाने वाली कम्पनियों के नाम और पते क्या है और उनकी परिसम्पत्ति कितनी है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कम्पनियो को, उनके निगमन के समय पर, कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये संस्था-ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य उद्देश्यों के आधार पर, कम्पनी कार्य विभाग द्वारा अंगीकार की गई ज्वाईंट स्टाक कम्पनियों के औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार उनको वर्गीकृत किया जाता है । दिल्ली मे अपने पंजीकृत कार्यालयों सहित 793 कम्पनियों को 31-3-1985 तक "विनिर्माण और अनुरक्षण" के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था । निर्माण करने वाली कम्पनियो के नामों और पतो के संकलन करने के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास पंजीकृत 22,000 कम्पनियों से अधिक के रिकार्डों की छानबीन करना अपेक्षित होगा । इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित प्रयास शायद उद्देश्य के लिए की जाने वाली सफलता के अनुरूप नहीं हो सकेगा ।

(ख) 50 लाख रु० या अधिक की प्रदत्त पूंजी और 100 करोड़ रु० से अधिक की परिसम्पत्तियों सहित गैर-सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार, केवल एक कम्पनी का दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय है और वह निर्माण कार्य में लगी हुई है । कम्पनी के नाम, उसके पंजीकृत कार्यालय और परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में विवरण नीचे दिया जाता है :—

नाम	पंजीकृत कार्यालय	परिसम्पत्तियां
कोन्टीनेन्टल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	कोन्टीनेन्टल हाउस, 28, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ।	31-12-1984 तक 22629 करोड़ रुपये ।